**भारत सरकार**

**शिक्षा मंत्रालय**

**उच्चतर शिक्षा विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या-2073**

**उत्तर देने की तारीख-05/08/2024**

**एमबीबीएस के अभ्यर्थियों की आत्महत्या के मामले**

**+2073. श्री सचिदानन्दम आर :**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हाल ही में बड़ी संख्या में एमबीबीएस के अभ्यर्थी/छात्र, विशेषकर कोचिंग सेंटरों में किसी न किसी कारण से आत्महत्या कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार के पास विगत तीन वर्षों के दौरान आत्महत्या करने वाले एमबीबीएस के अभ्यर्थियों/छात्रों की राज्य- वार कुल संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे मामलों की रोकथाम करने/रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं और ऐसे कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सुकान्त मजूमदार)**

(क) से (च): देश में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या से संबंधित आंकड़ों का व्यापक विश्लेषण राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या (एडीएसआई) रिपोर्ट में प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। छात्रों की आत्महत्याओं का वर्षवार और राज्यवार ब्यौरा एडीएसआई की वर्षवार रिपोर्ट में उपलब्ध है, जो https://ncrb.gov.in/accidental-deaths-suicides-in-india-year-wise.html पर उपलब्ध है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, आत्महत्या के विभिन्न कारण जैसे पेशेवर/करियर संबंधी समस्याएं, अकेलेपन की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत, वित्तीय नुकसान, पुराना दर्द आदि हैं। एडीएसआई **2022** के अनुसार आत्महत्या के कारणों में 'परीक्षा में असफलता' **1.2%** है और आत्महत्या के कुल मामलों में छात्र द्वारा आत्महत्या का हिस्सा **7.6%** है।

किसी निर्धारित नीति या विनियम के अभाव में देश में अनियमित निजी कोचिंग केंद्रों की संख्या में वृद्धि; ऐसे केंद्रों द्वारा छात्रों से अत्यधिक शुल्क वसूलने की घटनाएं; छात्रों पर अनुचित

तनाव के परिणामस्वरूप छात्रों द्वारा आत्महत्या करने और इन केंद्रों द्वारा अपनाई जा रही कई अन्य गलत प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए देखते हुए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 16.01.2024 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोचिंग सेंटर के विनियमन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को उचित कानूनी व्यवस्था के माध्यम से आगे की कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इसके बाद दिनांक 16.07.2024 को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को एक और पत्र भेजा गया है।

दिशानिर्देशों में कई प्रमुख पहलुओं को शामिल किया गया है, जिसमें कोचिंग केंद्रों को परिभाषित करना, पंजीकरण के लिए शर्तें और आवश्यक दस्तावेज निर्दिष्ट करना; कोचिंग केंद्रों की स्थापना के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की रूपरेखा तय करना, कोचिंग केंद्रों के लिए आचार संहिता; मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जोर देना, कोचिंग केंद्रों के भीतर परामर्शदाताओं और मनोवैज्ञानिकों की सहायता को प्राथमिकता देने का समर्थन करना; बैच अलगाव नहीं करना; रिकॉर्ड का रखरखाव आदि शामिल हैं। दिशानिर्देशों में यह भी प्रावधान है कि पाठ्यक्रम/पाठ्यचर्या के लिए लिया जाने वाला शुल्क उचित और तर्कसंगत होगा; किसी भी परिस्थिति में पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान फीस में वृद्धि नहीं की जाएगी; आसान निकास नीति और आनुपातिक आधार पर शुल्क वापसी; उन छात्रों के लिए कोचिंग कक्षाएं, जो संस्थानों/स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनके संस्थानों/स्कूलों के समय के दौरान आयोजित नहीं की जाएंगी, ताकि ऐसे संस्थानों/स्कूलों में उनकी नियमित उपस्थिति प्रभावित न हो और डमी स्कूलों से भी बचा जा सके।दिशा-निर्देशों में आगे कोचिंग सेंटरों की गतिविधियों की निरंतर निगरानी, शिकायत तंत्र की शुरूआत और उसका निपटान, अर्थ दंड, पंजीकरण रद्द करने और अपील आदि की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

***